

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 395/2010/चित्तौड़.

सहायक आयुक्त, विशेष वृत्त, भीलवाड़ा.

.....अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स सेथार वेसल्स प्रा० लि०, चंदेरिया, चित्तौड़.

.....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ

श्री के. एल. जैन, सदस्य

**उपस्थित : :**

श्री आर. के. अजमेरा,

उप राजकीय अभिभाषक

.....अपीलार्थी की ओर से.

श्री एम. एल. पाटौदी, अभिभाषक

.....प्रत्यर्थी की ओर से.

**दिनांक : 11/05/2017**

निर्णय

1. अपीलार्थी राजस्व द्वारा यह अपील उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर विभाग, उदयपुर (जिसे आगे 'अपीलीय अधिकारी' कहा जायेगा) द्वारा अपील संख्या 92/आरएसटी/07-08 में पारित किये गये आदेश दिनांक 18.09.2009 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसमें प्रत्यर्थी व्यवहारी की आलौच्य अवधि वर्ष 2004-05 के लिये राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 (जिसे आगे 'अधिनियम' कहा जायेगा) की धारा 29(7) के तहत पारित किये गये आदेश दिनांक 16.08.2007 के विरुद्ध प्रस्तुत अपील को स्वीकार करते हुए प्रकरण पुनः कर निर्धारण आदेश पारित किये जाने हेतु कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया है।
2. उभयपक्ष की बहस सुनी गयी एवं रेकॉर्ड का अवलोकन किया गया।
3. प्रकरण में प्रत्यर्थी व्यवहारी को कार्य संविदा करने के लिये मैसर्स बिड़ला कॉरपोरेशन, बिड़ला सीमेन्ट से जो आदेश प्राप्त किया गया था उस सम्पूर्ण कार्य को प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा तीन उप-ठेकेदारों को आगे वितरित कर दिया इस तरह प्रत्यर्थी को अवार्डेड संविदा कार्य अन्य ठेकेदारों के द्वारा किये जाने से प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा किसी भी तरह का माल का हस्तांतरण संविदा कार्य में नहीं होने से उस पर किसी भी तरह की करदेयता अवशेष नहीं रहती है परन्तु कर निर्धारण अधिकारी द्वारा उन तीनों उप-ठेकेदारों की कार्य संविदा से की गई प्राप्तियों को मूल ठेकेदार की प्राप्त संविदा राशि से अधिक होने से उतनी राशि का माल अवार्डर को स्थानांतरित मानकर उस पर कर आरोपित कर दिया जिसके विरुद्ध अपील की जाने पर अपीलीय अधिकारी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त हिन्दुस्तान डोरोलिवर लिमिटेड व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया (1989) 75 एस.टी.सी. 211 (पटना) एवं वाणिज्यिक कर अधिकारी बनाम ब्लोप्लास्ट प्रा० लि० (1997) 20 टैक्स वर्ल्ड 123 का हवाला




लगातार.....2

देते हुए यह निर्णीत किया कि प्रत्यर्थी व्यवहारी का स्वयं द्वारा कोई टर्नओवर किया जाना सिद्ध नहीं किया है बल्कि जो राशि अन्तर के रूप में बताई गई है वह प्रत्यर्थी व्यवहारी के लाभ का अंश मात्र है एवं व्यवसायी ने स्वतंत्र रूप से कोई कार्य नहीं किया है ऐसी स्थिति में उसकी कोई डीमंड सेल माना जाना अव्यवहारिक होने से अपास्त योग्य है। साथ ही अपीलीय अधिकारी ने अपने निर्णय में कर निर्धारण अधिकारी को यह स्वतंत्रता भी प्रदान की है कि यदि कर निर्धारण अधिकारी के पास माल के हस्तांतरण सम्बन्धी कोई अतिरिक्त साक्ष्य उपलब्ध हों तो वे करारोपण कर सकते हैं।

4. उक्त तथ्यात्मक स्थिति का पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों से परीक्षण करने पर यह पाया कि कर निर्धारण अधिकारी स्वयं ने भी अपने आदेश में यह माना है कि तीनों उप-ठेकेदारों द्वारा कार्य पूर्ण किया है एवं यह भी माना है कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा कोई कार्य करने का साक्ष्य उपलब्ध नहीं है अतः केवल अन्तर राशि पर अनुमानित खरीद मानकर उस पर करारोपण किया है जो उचित नहीं है। इस प्रकरण को स्पष्ट करने हेतु यह उल्लेख करना उचित है कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा ठेका प्राप्त करने के बाद किसी भी तरह की माल की खरीद नहीं की है और न ही किसी ठेका कार्य में माल का हस्तांतरण किया है बल्कि आगे एक अवार्डर के रूप में उप-ठेकेदारों को कार्य आवंटित कर दिया है। ऐसी स्थिति में ठेका प्राप्त होने से उसे आगे कम कीमत पर ठेका देने से लाभ प्राप्त हुआ है, इस लाभ की राशि को माल के अन्तरण की राशि माने जाने सम्बन्धी कर निर्धारण अधिकारी की अवधारणा विधि अनुकूल नहीं है।

5. अतः अपीलीय अधिकारी द्वारा किया गया निर्णय विधि अनुकूल होने से इसमें किसी भी तरह की त्रुटि नहीं किया जाना पाया जाता है। फलतः अपीलार्थी राजस्व की अपील अस्वीकार की जाती है।

6. निर्णय सुनाया गया।

  
( के. एल. जैन )  
सदस्य